"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक 6886/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17-8-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005

विषय सूची

खण्ड :

अध्याय - 1
प्रारंभिक

अध्याय - 2
निजि विश्वविद्यालय की स्थापना

अध्याय - 3
निजी विश्वविद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन

अध्याय - 4
निजी विश्वविद्यालय का विनियम

अध्याय - 5
निजी विश्वविद्यालय का परिसमापन

अध्याय - 6
प्रकीर्ण

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्ववित्तीय विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं निगमन के लिए तथा उनके क्रियाकलापों के नियमन एवं तत्संबंधी विषयों या आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय - एक : प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ द्वारा अपेक्षित न हो, -

(1) ''शैक्षणिक परिषद्'' से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद्.

(2) ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्'' से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम 1987 की संख्या 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्.

(3) ''भारतीय विधिज्ञ परिषद्'' से अभिप्रेत है, एड्व्होकेट एक्ट 1961 (क्र. 25 सन् 1961) की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्.

(4) ''प्रबंधन मण्डल'' से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन मण्डल.

(5) ''कुलाधिपति'' से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति.

(6) ''मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी'' से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी.

(7) ''दूरस्थ शिक्षा परिषद्'' से अभिप्रेत है - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (क्र. 50 सन् 1985) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद्.

(8) ''विन्यास निधि'' से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय की विन्यास निधि.

(9) ''शुल्क'' से अभिप्रेत है, विद्यार्थियों से निजी विश्वविद्यालय द्वारा संकलित राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जावे.

(10) ''शासन'' से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन.

(11) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल.

(12) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का शासी निकाय.

(13) "उच्च शिक्षा" से अभिप्रेत है. ज्ञानार्जन के लिए 10+2 स्तर से आगे निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यसंरचना का अध्ययन.

(14) "मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया" से अभिप्रेत है, इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट 1956 (क्र. 2, सन् 1956) के अधीन गठित मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया.

(15) "मुख्य परिसर" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में स्थित निजी विश्वविद्यालयों के मुख्य परिसर, जिनके कम से कम पांच अध्यापन विभाग अथवा अध्ययन शालाएं हों और जहां कुलपति एवं कुलसचिव निवास करते हों तथा निजी विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय भी स्थित हो.

(16) "नेशनल कौंसिल ऑफ एसेसमेण्ट एण्ड एक्रेडिटेशन" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वशासी संस्थान नेशनल कौंसिल ऑफ एसेसमेण्ट एण्ड एक्रेडिटेशन, बैंगलौर.

(17) "दूर परिसर केन्द्र" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का ऐसा केन्द्र जो मुख्य परिसर से बाहर किन्तु राज्य के भीतर हो तथा जिसका संचालन एवं संधारण विश्वविद्यालय की इकाई के रूप में होता हो.

(18) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का अध्यादेश.

(19) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग.

(20) "निजी विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन स्थापित एवं संचालित निजी विश्वविद्यालय.

(21) "फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया" से अभिप्रेत है, फार्मेसी अधिनियम 1948 (क्र. 8, सन् 1948) के अधीन गठित फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया.

(22) "नियामक अभिकरण" से अभिप्रेत है, केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन द्वारा स्थापित नियामक अभिकरण जो उच्च शिक्षा के मानक स्तर को सुनिश्चितता के लिए नियम व शर्तें निर्धारित करें.

(23) "विनियामक आयोग" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन स्थापित विनियामक आयोग.

(24) "विनियमन" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित विनियमन.

(25) "कुल सचिव" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुल सचिव.

(26) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

(27) "अध्ययन केन्द्र" से अभिप्रेत है, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को परामर्श, मंत्रणा या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संधारित या मान्यता प्राप्त केन्द्र जो कोई दो या दो से अधिक संचार माध्यमों जैसे रेडियो

प्रसारण, दूरदर्शन, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और इसी प्रकार की कोई अन्य पद्धति से शिक्षा प्रदान करता है.

(28) ''परिनियम'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित निजी विश्वविद्यालय के परिनियम.

(29) निजी विश्वविद्यालय से संबंधित '' प्रायोजक निकाय'' से अभिप्रेत है :-

(क) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44, सन् 1973) के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी,

(ख) कोई पंजीकृत सार्वजनिक न्यास,

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्र. 1, सन् 1956) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी तथा,

(घ) अन्य कोई निकाय जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो.

(30) ''विद्यार्थी'' से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति जो उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्र अथवा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टता प्राप्ति के लिए किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है.

(31) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची.

(32) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियां.

(33) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जन-जातियां.

(34) ''अध्ययन शाला'' से अभिप्रेत है, उच्चतर विद्या तथा गवेषना के स्थान के रूप में निजी विश्वविद्यालय द्वारा संधारित की गई संस्था.

(35) ''अध्यापक'' से अभिप्रेत है, प्राध्यापक, प्रवाचक, व्याख्याता या किसी अन्य पदनाम का व्यक्ति जो शिक्षण कार्य करे अथवा शोधकार्य का निर्देशन करे अथवा विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करे.

(36) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग'' से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (क्र. 3, सन् 1956) के अधीन स्थापित आयोग.

(37) ''यू.जी.सी. विनियमन 2003'' से अभिप्रेत है, यू.जी.सी. (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं मानक स्तर का संधारण) का विनियमन 2003.

(38) ''कुलाध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष.

(39) ''कुलपति'' से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुलपति.

(40) ''गरीबी रेखा से नीचे के परिवार'' से अभिप्रेत है, ऐसे परिवार जिनकी आय शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे हो.

अध्याय - दो : निजी विश्वविद्यालय की स्थापना

3. निजी विश्वविद्यालय के नीचे दर्शाए सामान्य उद्देश्य होंगे :- निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

(क) उच्च शिक्षा में अनुदेशन, अध्यापन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं शोध तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं विसरण का प्रावधान करना.

(ख) उच्चतर बौद्धिक क्षमता का सृजन करना.

(ग) शिक्षा एवं प्रशिक्षण की उन्नत सुविधाओं को सुलभ कराना.

(घ) अध्यापन तथा शोध कराना एवं शिक्षण कार्यक्रमों को निरंतर उपलब्ध कराते रहना.

(ङ) शोध एवं विकास तथा ज्ञान की सहभागिता एवं उसके अनुप्रयोग के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन करना.

(च) उद्योग एवं सार्वजनिक संस्थाओं हेतु परामर्श सेवा उपलब्ध कराना.

(छ) यह सुनिश्चित करना कि उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक उपलब्धियों हेतु मापदण्ड यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., बी.सी.आई., एम.सी.आई., डी.ई.सी. या अन्य नियामक अभिकरणों द्वारा निर्धारित मानक स्तर से निम्नतर स्तर का न हो.

(ज) किसी ऐसे अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना, जो समय-समय पर विनियामक आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा अनुमोदित हो.

4. (1) प्रायोजक निकाय द्वारा अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए परियोजना प्रतिवेदन आवेदन के साथ विनियामक आयोग को, निर्धारित शुल्क तथा ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाये, प्रस्तुत किया जावेगा. निजी विश्वविद्यालय स्थापना के प्रस्ताव का प्रेषण.

(2) परियोजना प्रतिवेदन में निम्नलिखित जानकारी दी जावे अर्थात् :-

(क) प्रायोजक निकाय के पंजीकरण प्रमाणपत्र, संविधान तथा उपविधियों के साथ अन्य विस्तृत विवरण,

(ख) विगत् 03 वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रायोजक निकाय के वित्तीय संसाधन की विस्तृत जानकारी,

(ग) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम, स्थान तथा मुख्य परिसर,

(घ) निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य,

(ङ) भूमि, भवन तथा अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता,

(च) निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ होने के पहले परिसर विकास का विस्तृत ब्यौरा यथाः भवन निर्माण, अन्य संरचनात्मक सुविधायें एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उपकरणों को प्राप्त करने आदि हेतु योजना साथ ही आगामी पांच वर्षों हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम की रूप-रेखा,

(छ) पूंजीगत व्यय का आगामी पांच वर्ष के लिए चरणबद्ध विवरण तथा वित्त व्यवस्था के स्रोत,

(ज) संकायों की प्रकृति एवं संख्या यथाः विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी शिक्षा आदि. पढ़े जाने वाले पाठ्यक्रमों के प्रकार जैसे- स्नातक, स्नातकोत्तर एवं निजी

विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक संकाय में किये जाने वाले प्रस्तावित शोध कार्यक्रम एवं राज्य के विकासात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में एवं उनकी प्रासंगिकता तथा आगामी 5 वर्षों हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश देने वाले छात्रों की लक्षित संख्या,

(झ) संबंधित विधाओं में प्रायोजक निकाय को उपलब्ध अनुभव तथा विशेषज्ञता,

(ञ) अध्यापन किये जाने वाले पाठ्यक्रमों तथा शोध कार्य हेतु आवश्यक अकादमिक सुविधायें यथा : अध्यापक, तकनीकी / गैर-तकनीकी कर्मचारी एवं उपकरणों की उपलब्धता,

(ट) पाठ्यक्रम अनुसार या कार्यक्रम अनुसार आवर्ती व्यय का अनुमान तथा उपलब्ध वित्त के स्रोत तथा अनुमानित प्रति विद्यार्थी व्यय,

(ठ) संसाधनों को गतिमान करने की योजना एवं इस हेतु पूंजी की लागत तथा उसके ऐसी स्रोतों की भुगतान की प्रक्रिया,

(ड) आंतरिक स्रोतों जैसे छात्रों से शुल्क की वसूली परामर्श-सेवा एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय से कोष-निर्माण की योजना,

(ढ) विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित शुल्क ढांचा व्यय का विस्तृत विवरण, शुल्क में दी जाने वाली रियायत या छूट या परिहार तथा छात्रवृत्ति, यदि कोई हो, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछड़े वर्ग को दी जाने वाली छूट का विवरण,

(ण) निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रस्तावित प्रक्रिया,

(त) निजी विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया,

(थ) दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित केन्द्र के नाम के साथ विस्तृत विवरण,

(द) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम तथा विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या शोध गतिविधियों का विवरण,

(ध) कृषक, महिलाओं तथा विशेष रूप से इस राज्य में स्थित उद्योगों के लाभ हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रम,

(न) खेल मैदान तथा अन्य उपलब्ध या प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण यथा: राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काऊट एवं गाईड का विवरण,

(प) दूर परिसर एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना विशेषकर राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में,

(फ) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता एवं औचित्य का प्रतिपादन,

प्रस्ताव का मूल्यांकन.

5. (1) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव परियोजना प्रतिवेदन के साथ प्राप्त होने के पश्चात् विनियामक आयोग प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्यों की जांच-पड़ताल, जैसा कि आवश्यक समझेगा यथासंभव 07 दिनों में पूरी करेगा.

(2) जांच पड़ताल की अवधि में विनियामक आयोग किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है और ऐसी जानकारी प्राप्त होने के उपरांत, यथासंभव विनियामक आयोग 45

दिनों के भीतर परियोजना प्रस्ताव के मूल्यांकन का कार्य पूरा करेगा. मूल्यांकन करते समय विनियामक आयोग निम्नांकित बातों विचार में रखेगा :-

(क) जिस क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है वहां उच्च शिक्षा तथा शोध के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं,

(ख) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के पास यदि कोई विशिष्ट योग्यता या कोई नया पाठ्यक्रम या कार्यक्रम हों जो कि राज्य में उपलब्ध अकादमिक संसाधनों की वृद्धि करे एवं मानव संसाधन के विकास में मदद करें,

(स) पिछड़े क्षेत्रों के उन्नयन अथवा क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए व राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में दूरस्थ परिसर प्रारंभ करने हेतु निजी विश्वविद्यालयों का कार्यक्रम,

(द) उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ कराते हुए समाज सेवा एवं युवकों का कल्याण निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है.

6. (1) धारा 5 में उल्लिखित जांच व मूल्यांकन पूर्ण करने के पश्चात् एवं इस बात से संतुष्ट होने पर कि प्रायोजक निकाय को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का अवसर दिया जा सकता है, विनियामक आयोग राज्य सरकार को प्रायोजक निकाय के हक में आशय पत्र जारी करने हेतु अनुशंसा करेगा. आशय पत्र जारी करना.

(2) विनियामक आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर, राज्य सरकार प्रायोजक निकाय को आशय पत्र जारी करने पर विचार कर सकता है.

7. धारा 6 (2) में उल्लिखित आशय पत्र में निम्नलिखित शर्तें सम्मिलित होगी जो प्रायोजक निकाय को इस राज्य में एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये पूरी करनी होगी, अर्थात् : निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की शर्तें.

(1) वह स्थापित करेगा :-

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में ही मुख्य परिसर, दूर परिसर एवं अध्ययन केन्द्र,

(ख) इस अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप विन्यास निधि.

(2) वह न्यूनतम निम्नलिखित प्राप्त करेगा -

(क) 15 एकड़ भूमि यदि रायपुर नगर-निगम की सीमा के अंदर मुख्य परिसर की स्थापना प्रस्तावित है,

(ख) 25 एकड़ भूमि यदि अन्यत्र मुख्य परिसर स्थापना प्रस्तावित है, तथा साथ ही वह इनके भू-स्वामित्व अभिलेख प्रस्तुत करेगा.

(3) वह प्रशासकीय कार्यों तथा अकादमी कार्यों के सम्पादन के लिए कम से कम 25,000 वर्गफीट का निर्मित क्षेत्र, भवनों तथा अन्य सहायक निर्माणों के रूप में उपलब्ध करायेगा.

(4) वह परिवचन देगा कि -

(क) यह कि निजी विश्वविद्यालय की भूमि तथा भवन का उपयोग केवल निजी विश्वविद्यालय के कार्यों हेतु ही किया जावेगा,

(ख) निजी विश्वविद्यालय के निगमन के तत्काल बाद तथा कक्षायें प्रारंभ होने के पूर्व पर्याप्त संख्या में आवश्यक संकाय सदस्यों तथा अन्य सहायक कर्मचारीवृदों की नियुक्ति हर विभाग या विषय में कर दी जावेगी,

(ग) पर्याप्त संख्या में उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक सामग्री सुलभ करायी जायेगी, तथा प्रथम पांच वर्षों में रुपये बीस लाख राशि प्रति वर्ष खर्च की जावेगी,

(घ) प्रथम वर्ष में कम से कम दस लाख की पुस्तकें तथा पत्रिकाएं क्रय की जावेगी तथा प्रथम तीन वर्ष में पचास लाख रुपये की राशि पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा कम्प्यूटर नेटवर्किंग तथा अन्य सुविधाओं पर व्यय की जावेगी जो कि ग्रंथालय में पर्याप्त समकालीन अध्यापन तथा शोध कार्य की जरूरतों के मुताबिक हो,

(ङ) नियमित पाठ्यक्रम से जुड़ी ऐसी गतिविधियों को संचालित किया जावेगा जिससे कि ऐसे उचित अकादमी तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके, उदाहरणार्थ संगोष्ठी, वाद-विवाद, प्रश्नमंच कार्यक्रम तथा अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियां जैसे कि एन.सी.सी., एन.एस.एस., खेल-कूद आदि, जो कि विद्यार्थियों के हित में हों तथा इस विषय की अधिकारिता रखने वाली संस्थाओं द्वारा समर्थित हों,

(च) निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों हेतु कल्याण कार्यक्रम चलाये जायेंगे,

(छ) केन्द्रीय नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर विहीत अन्य सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा एवं उनके द्वारा चाही गई समस्त जानकारियां को प्रदान किया जायेगा,

(ज) समय-समय पर केन्द्रीय नियामक निकायों द्वारा विहीत ऐसे न्यूनतम मापदण्डों का अनुपालन किया जायेगा, जो पाठ्यक्रम, संकायों, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों से संबंधित है,

(झ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अंत में दिये जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि यू.जी.सी. अथवा अन्य संबंधित निकायों के विनियमों/मापदंडों के अनुरूप होंगी,

(ञ) प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क निर्धारण नियामक निकायों द्वारा विहित मापदण्डों/दिशा-निर्देशों, यदि कोई हैं, के अनुरूप होंगे,

(ट) निजी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के पास यू.जी.सी. व अन्य संबंधित निकायों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हों; तथा उन्हें उचित वेतन प्रदाय किया जावेगा,

(ठ) निजी विश्वविद्यालय सभी जाति, वर्ग, धर्म, वंश, लिंग के लिये खुला रहेगा एवं निजी विश्वविद्यालय के लिये यह वैधानिक नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक आस्था या व्यवसाय के कारण किसी भी प्रकार की पृथक परीक्षा से गुजारे, चाहे वह धर्म संबंधी हो या अन्य हो, या किसी व्यवसाय से संबंधित हो जिससे अध्यापक के रूप में उसकी नियुक्ति प्रभावित होती हो या अन्य किसी पद पर उसकी नियुक्ति प्रभावित होती हो, या विद्यार्थी के रूप में उसके प्रवेश को प्रभावित करती हो, या उसके किसी भी अधिकार से वंचित करती हो,

(ड) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिनियम, अध्यादेशों की स्वीकृति के बिना प्रवेश तथा कक्षाओं के संचालन का कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा.

8. (1) प्रायोजक निकाय अनुपालन प्रतिवेदन परिवचन तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों सहित विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा.

परिपालन प्रतिवेदन की प्रस्तुति, सत्यापन तथा निरीक्षण.

(2) अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद विनियामक आयोग उसकी तथा ऐसे तरीके में जैसा व उचित समझे, तथ्यात्मक आंकड़ों की जांच करेगा जिसमें स्थल निरीक्षण भी शामिल है.

(3) उपधारा (2) में उल्लिखित अनुसार अनुपालन प्रतिवेदन की जांच करने पर यदि इसमें विनियामक आयोग को किसी प्रकार की कमी नजर आये तो वह प्रायोजक निकाय को शीघ्रातिशीघ्र इन पहिचानी कमियों को दूर करने का निर्देश देगा.

(4) विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट होने पर कि, ऊपर उल्लेखित उपधारा (3) के अनुसार पहिचानी कमियों को दूर कर दिया गया है, पहिचानी कमियों को पूरा करने की जानकारी प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर, राज्य शासन को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन भेजेगा.

(5) विनियामक आयोग से उक्त उपधारा (4) के अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, राज्य शासन यू.जी.सी. से प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के निरीक्षण करने का अनुरोध करेगा.

परंतु यह भी कि यू.जी.सी. अपना प्रतिवेदन अधिक से अधिक 3 माह के अंदर देगा अन्यथा राज्य शासन अपने विवेकानुसार आगामी कार्यवाही करेगा.

9. (1) विनियामक आयोग द्वारा धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा यू.जी.सी. का निरीक्षण प्रतिवेदन, यदि ऐसा कोई है, पर विचार उपरांत यदि राज्य शासन को संतुष्टि हो जाती है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 7 के प्रावधानों को पूरा किया है तथा प्रस्ताव के आधार पर एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है तो, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में संशोधन कर वह ऐसे नाम तथा विवरण जैसा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाये निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा.-

स्थापना तथा निगमन.

(2) इस प्रकार के निजी विश्वविद्यालय का निगमन उस तिथि से माना जावेगा जिस तिथि से अनुसूची का संशोधन हुआ है. परंतु यह भी कि उक्त उपधारा (2) में दर्शायी निगमन की तिथि तथा धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा.

(3) निजी विश्वविद्यालय अनुसूची में संशोधित नाम का एक निगमित निकाय होगा. जिससे शाश्वत् उत्तराधिकार एवं सामान्य चिन्ह होगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए सम्पत्ति एवं उसका स्वामित्व प्राप्त कर सकेगा, जो अनुबंध कर सकेगा, वाद चला सकेगा या उस नाम से उस पर वाद चलाया जा सकेगा.

(4) ऐसे निजी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध प्रस्तुत वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही होने पर अभिवचन कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित या सत्यापित किये जावेगे तथा इस तरह के वाद या कानूनी कार्यवाही की सभी प्रक्रिया निजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम तामील होगी.

(5) विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर ऐसे स्थान पर होगा जो अनुसूची के पांचवे कॉलम में दर्शाया गया है.

अध्याय-तीन : निजी विश्वविद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन

स्ववित्तीय निजी विश्वविद्यालय.

10. निजी विश्वविद्यालय स्ववित्तीय होगा, तथापि लिखित कारण दर्शाए हुए शासन इसे वित्तीय/भौतिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर सकता है.

विन्यास निधि.

11. (1) उपर्युक्त धारा 6 (2) के अंतर्गत राज्य शासन से इच्छा पत्र प्राप्त होने पर ऐसा प्रायोजक निकाय जो इच्छा पत्र में दी गई शर्तों एवं परिवचनों को पूर्ण करने तत्पर है, निजी विश्वविद्यालय के लिए विन्यास निधि की स्थापना, विनियामक आयोग के कोष में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नीचे दर्शाई गयी राशि जमा करेगा.

(क) राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर एक करोड़ रुपये.

(ख) अन्य प्रकरणों में तीन करोड़ रुपये.

परंतु, प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व विन्यास निधि में जमा राशि समायोजित कर ली जावेगी.

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेश के उपबंधों के अनुरूप कार्य कर रहा है, यह विन्यास निधि सुरक्षा निधि के रूप में प्रयुक्त होगी. प्रायोजक निकाय द्वारा अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश तथा विनियमन के किसी भी उपबंध के उल्लंघन या भंग करने पर विनियामक आयोग की अनुशंसा पर, राज्य शासन संपूर्ण विन्यास निधि या उसके किसी अंश को समपहृत कर सकेगा.

(3) विन्यास निधि के स्थापना की विधि, उसके विनियोजन की विधि, इससे प्राप्त आय को प्रायोजक निकाय को भुगतान, उसके राजसात करने और प्रायोजक निकाय को वापस करने की विधि इस प्रकार होगी जैसी कि विहित की जावे.

सामान्य निधि.

12. प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय एक सामान्य कोष की स्थापना करेगा, जो सामान्य कोष के नाम से जाना जावेगा एवं जिसमें निम्न प्रकार की राशि जमा की जावेगी :-

(क) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शुल्क तथा अन्य प्रभार.

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान.

(ग) निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों के परिपालन में किये जाने वाले किसी परामर्श या अन्य कार्य के द्वारा प्राप्त आय.

(घ) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास तथा अन्य प्रकार का अनुदान, तथा

(ङ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी प्रकार की राशि.

परंतु विद्यार्थियों से खंड (क) के अंतर्गत प्राप्त शुल्क का एक प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के माध्यम से नियामक आयोग के पास शुल्क प्राप्ति के माह के अगले माह के 15 दिनों के अंदर जमा किया जाना होगा. यदि कोई निजी विश्वविद्यालय उपरोक्त शुल्क विनियामक आयोग के पास नियत समय में जमा करने में असफल होता है तो प्रति 30 दिन पर 1.5 प्रतिशत शास्तिक ब्याज की दर से साथ संपूर्ण राशि जमा करेगा. यदि इस राशि को जमा करने में 90 दिन से अधिक का व्यतिक्रम होता है तो इस कार्य को अधिनियम का उल्लंघन माना जावेगा एवं विनियामक आयोग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

परंतु आगे यह भी कि विनियामक आयोग इस राशि को यथोचित समय में राज्य के संचित निधि में जमा करेगा.

13. सामान्य निधि का उपयोग निम्न उद्देश्यों हेतु होगा, यथा :- सामान्य निधि का उपायोजन.

(1) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, नियमन के उद्देश्य हेतु लिये गये उधार जिसमें ब्याज भी शामिल है, के भुगतान हेतु.

(2) निजी विश्वविद्यालय की सम्पदा के रख-रखाव हेतु.

(3) कोष की धारा (11) एवं (12) के अंतर्गत निर्मित निधियों के अंकेक्षण पर व्यय का भुगतान.

(4) न्यायालय में ऐसे वाद या वैधानिक कार्यवाही संबंधी व्यय, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष हो.

(5) विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, शैक्षणिक एवं शोध कार्य में संलग्न स्टॉफ के वेतन तथा भत्ते का भुगतान तथा भविष्य निधि, अंशदान, उपादान तथा अन्य लाभ का भुगतान.

(6) शासी निकाय, प्रबंधन मंडल, अकादमिक परिषद् तथा विश्वविद्यालय के परिनियम द्वारा घोषित अन्य प्राधिकारी के सदस्यों तथा इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियमन के किसी भी प्रावधान के परिपालन हेतु प्रयोजक निकाय के किसी प्राधिकारी या अध्यक्ष या कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये सदस्यों के यात्रा-भत्तों या अन्य भत्तों के भुगतान हेतु.

(7) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के विद्यार्थियों को अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, शुल्कमुक्ति, सहायकवृत्ति तथा अन्य पुरस्कार या शोध सहायुक्त, प्रशिक्षु या अन्य ऐसे विद्यार्थी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित निजी विश्वविद्यालय के संविधि, अध्यादेशों एवं विनियमनों या नियमों के अंतर्गत इस प्रकार की स्वीकृति की पात्रता रखते हैं.

(8) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित संविधियों, अध्यादेशों या विनियमनों के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान.

(9) प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निवेश में पूंजीगत व्यय का भुगतान जो ब्याज की प्रचालित बैंक दर से अधिक न हो.

(10) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित संविधियों, अध्यादेशों तथा विनियमनों के अंतर्गत परामर्श संबंधी किये जाने वाले कार्यों से संबंधित व्यय एवं प्रभार का भुगतान.

(11) प्रबंध मंडल द्वारा निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिये अनुमोदित होने पर प्रायोजक निकाय की ओर से विश्वविद्यालय की व्यवस्था का दायित्व वहन करने वाली किसी संस्था को किया जाने वाला व्यवस्था शुल्क सहित व्यय का भुगतान.

परंतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध मंडल के पूर्वानुमोदन बिना जैसा भी निश्चय किया गया हो, कोई व्यय नहीं किया जावेगा जो प्रबंध मंडल द्वारा वर्ष हेतु कुल आवर्ती तथा कुल अनावर्ती व्यय हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो.

परंतु यह भी कि सामान्य निधि की राशि का उपयोग जैसा कि उपधारा (1) में वर्णित उद्देश्य के लिये उल्लिखित है, निजी विश्वविद्यालय के शासी निकाय के अनुमोदन से किया जा सकेगा.

विश्वविद्यालय के अधिकारी.

14. निजी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे यथा :-

(1) कुलाध्यक्ष

(2) कुलाधिपति

(3) कुलपति

(4) कुलसचिव

(5) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

(6) अन्य ऐसे अधिकारी, जिसकी घोषणा विश्वविद्यालय के संविधि के अंतर्गत अधिकारी के रूप में की जावे.

कुलाध्यक्ष.

15. (1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निजी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे.

(2) कुलाध्यक्ष, जब वे उपस्थित होंगे, निजी विश्वविद्यालय की उपाधि, पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे.

(3) कुलाध्यक्ष की निम्न शक्तियां होंगी, यथा :-

(क) कुलपति की नियुक्ति करना,

(ख) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी अभिलेख अथवा सूचना मांगना,

(ग) कुलाध्यक्ष को भेजी गयी जानकारी के आधार पर, यदि वह संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश, प्रक्रिया अथवा निर्णय इस अधिनियम, विनियमों एवं नियमों के अनुरूप नहीं है, तो कुलाध्यक्ष विनियामक आयोग से अभिमत प्राप्त कर सकेगा. ऐसा समाधान होने पर कि कोई अनियमितता हुई है तो वह इस प्रकार के निर्देश प्रसारित कर सकेगा जैसा कि वह निजी विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे तथा इस प्रकार जारी किए गए निर्देश निजी विश्वविद्यालयों द्वारा पालन किये जायेंगे.

(घ) कुलाधिपति अथवा अन्य किसी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कुलपति के विरुद्ध जांच कराना.

कुलाधिपति.

16. (1) प्रायोजक निकाय द्वारा कुलाधिपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से 3 वर्षों के लिए की जायेंगी.

परंतु, किसी निजी विश्वविद्यालय को स्थापित करने तथा उसे कार्यात्मक बनाने के लिये, प्रायोजक निकाय, राज्य शासन से सलाह लेकर कम से कम 1 वर्ष के लिये कुलाधिपति की नियुक्ति करेगा परंतु यह 3 वर्षों से अधिक के लिये नहीं होगी.

(2) कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय का संस्था प्रमुख होगा.

(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाधि तथा पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा.

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी यथा :-

(क) किसी भी सूचना अथवा अभिलेख को मंगा सकना.

(ख) शिकायतों के आधार पर यदि वह संतुष्ट होता है कि कुलपति के कार्य से निजी विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम अथवा अध्यादेशों का उल्लंघन हुआ है अथवा कोई वित्तीय अनियमितता की गई है तो कुलपति को पदच्युत करने के लिए कुलाध्यक्ष को रिपोर्ट (प्रतिवेदन) देना.

17. (1) कुलपति की नियुक्ति, इस कार्य के लिए गठित खोजबीन समिति द्वारा अनुशंसित नाम-सूची में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जावेगी. कुलपति.

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सर्च कमेटी निम्नानुसार होगी :-

(क) प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित 2 ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्.

(ख) उच्च शिक्षा विभाग से राज्य शासन द्वारा नामांकित एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति. खोजबीन समिति से सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को कुलाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा.

(3) खोजबीन समिति न्यूनतम 3 ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची कुलपति की नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करेगी.

परंतु, यदि खोजबीन समिति द्वारा अनुशंसित नाम-सूची को कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो वे समिति से नयी अनुशंसा मंगा सकता है.

परंतु आगे यह भी कि, नव-स्थापित निजी विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिए कुलाध्यक्ष द्वारा कुलाधिपति के परामर्श से 2 वर्षों के लिए कुलपति की नियुक्ति की जा सकेगी.

(4) कुलपति की नियुक्ति, उपधारा (10) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप 4 वर्षों के लिए होगी.

परंतु समय सीमा समाप्ति के पश्चात् भी नये कुलपति के कार्यभार ग्रहण करते तक वे अपने पद पर बने रहेंगे. किन्तु किसी भी स्थिति में यह समय सीमा 6 माह से अधिक नहीं होगी..

(5) कुलपति निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी एवं अकादमिक अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के क्रिया-कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण बनाये रखेगा तथा निजी विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के निर्णयों का क्रियान्वयन करवायेगा.

(6) कुलाध्यक्ष एवं कुलाधिपति दोनों की अनुस्थिति में, कुलपति निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा.

(7) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे विषय में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है जिसकी शक्तियाँ किसी अन्य प्राधिकारी को इस अधिनियम के द्वारा अवकाश के अंतर्गत प्रदत्त की गई है, तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह उचित समझता हो तथा की गई कार्यवाही से यथाशीघ्र ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी को अवगत करायेगा, जो कि सामान्यतः उस मामले में कार्यवाही करता है :

परंतु, यदि संबंधित प्राधिकारी के अभिमत में इस प्रकार की कार्यवाही कुलपति के द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी, तो इस प्रकार का प्रकरण, निर्णय हेतु कुलाधिपति को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा.

परंतु, यह भी कि यदि कुलपति के द्वारा की गई कार्यवाही निजी विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं तो वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही की सूचना प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर शासी निकाय के समक्ष अपील करने हेतु अधिकृत होगा. शासी निकाय का निर्णय संबंधित व्यक्ति को अपील करने की तिथि से अधिकतम 3 माह के भीतर सूचित कर दिया जावेगा.

(8) यदि कुलपति की राय में निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों अथवा नियमनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों से बाहर है अथवा निजी विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल हो सकता है तो वह इस निर्णय को संशोधित करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को अनुरोध करेगा एवं उस स्थिति में जबकि प्राधिकारी 15 दिन के भीतर उक्त निर्णय को पूर्णतः या अंशतः संशोधित करने से अस्वीकार करता है, तो ऐसा प्रकरण कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जावेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा जो शासी निकाय को पुष्टि के लिए भेजा जावेगा.

(9) कुलपति द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जावेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन किया जावेगा जैसा कि परिनियम और अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट हो.

(10) यदि किसी समय अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा भी कुलाध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि कुलपति ने-

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित किसी कर्त्तव्य के निर्वहन में गलती की है अथवा,

(ख) उसने निजी विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल कार्य किया है अथवा,

(ग) निजी विश्वविद्यालय की गतिविधियों के सम्पादन में अक्षम सिद्ध हुए हैं तो कुलाध्यक्ष, इस तथ्य को जानते हुए भी कि उनके कुलपति पद की समय-सीमा पूरी नहीं हुई है, तथापि कारणों का उल्लेख करते हुए, लिखित आदेश द्वारा, कुलपति के पद को उस तिथि से रिक्त करने के लिए कह सकता है जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो.

(11) उपधारा (10) के अंतर्गत ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं होगा जब तक कुलपति को, समुचित आधार दर्शाते हुए इस प्रकार की कार्यवाही की सूचना न दे दी जाये और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया जाये.

(12) उपधारा (10) के अंतर्गत आदेश में उल्लिखित दिनांक से, कुलपति अपने पद से पदमुक्त माने जा सकेंगे और कुलपति का पद रिक्त माना जावेगा.

कुलसचिव. 18. (1) कुलसचिव की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा इस कार्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर परिनियम में दर्शाये अनुसार की जावेगी, परंतु प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति प्रायोजक निकाय के द्वारा 2 वर्षों के लिए की जावेगी.

(2) कुल सचिव द्वारा निजी विश्वविद्यालय की ओर से सभी अनुबंध हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सभी दस्तावेज एवं अभिलेख अधिकारिक किये जायेंगे.

(3) कुल सचिव स्वशासी निकाय, प्रबंध मंडल और अकादमिक परिषद् के सदस्य सचिव होंगे किन्तु उन्हें मताधिकार नहीं होगा.

(4) कुल सचिव द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा जैसा कि संविधियों द्वारा निर्धारित किया जा सके.

(5) किसी समय यह ज्ञापित कराये जाने पर या अन्यथा भी, जांच उपरांत स्थितियां सचेत करती हों कि कुलसचिव का पद पर बने रहना निजी विश्वविद्यालय के हित में नहीं है; तो कुलपति, उन कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए कुलसचिव को पदमुक्त करने के लिए कुलाधिपति को कह सकता है.

परंतु, इस उपधारा के अंतर्गत कार्यवाही करने के पूर्व कुलसचिव को सुनने का अवसर दिया जावेगा.

19. (1) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति कुलपति द्वारा इस प्रकार की जावेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्देशित किया जावे. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी.

(2) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जावे.

20. (1) निजी विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों कीं नियुक्ति कर सकता है जो कि उसके संचालन के लिए आवश्यक हो. अन्य अधिकारी.

(2) निजी विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां व कार्य उस प्रकार के होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किये जावें.

21. (1) निजी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, यथा- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

(क) शासी निकाय

(ख) प्रबंध मंडल

(ग) शैक्षणिक परिषद् तथा

(घ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा सृजित किया जाकर निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जावे.

(2) शासी निकाय एवं प्रबंध मंडल में नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा. कोई भी नामांकित सदस्य लगातार 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नामांकित नहीं किया जावेगा.

22. (1) विश्वविद्यालय के शासी निकाय का गठन निम्नानुसार होगा, यथा- शासी निकाय.

(क) कुलाधिपति,

(ख) कुलपति,

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित 3 ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, जिनमें कम से कम 01 व्यक्ति शिक्षाविद् होगा.

(घ) राज्य शासन द्वारा ख्यातिप्राप्त छः नामों की सूची में से कुलाध्यक्ष द्वारा तीन व्यक्तियों को नामांकित किया जावेगा.

(ङ) राज्य शासन का एक प्रतिनिधि, जो उप-सचिव के स्तर से नीचे का न हो.

(2) कुलाधिपति शासी निकाय का पदेन अध्यक्ष होगा.

(3) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी होगा. विश्वविद्यालय की समस्त चल एवं अचल संपत्ति पर शासी निकाय का अधिकार होगा.

उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, यथा-

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अंतर्गत दी गई ऐसी सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए निजी विश्वविद्यालय के संचालन का नियंत्रण करना, सामान्य देखभाल करना एवं निर्देशित करना,

(ख) निजी विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के निर्णयों पर पुनर्विचार करना यदि वे इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों से सुसंगत न हों,

(ग) निजी विश्वविद्यालय के बजट तथा वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन करना,

(घ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत नीतियों का निर्धारण करना,

(ङ) यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये कि निजी विश्वविद्यालय का सुचारू रूप से कार्य करना संभव नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रायोजक निकाय को स्वेच्छया भंग करने की अनुशंसा करना,

(च) ऐसी अन्य शक्तियों जो संविधियों द्वारा निर्धारित की जावे.

(4) शासी निकाय की बैठक प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार होगी.

(5) शासी निकाय की बैठकों के लिये गणपूर्ति कम से कम पांच की होगी.

प्रबंध मंडल. 23. (1) प्रबंध मंडल का गठन निम्नानुसार होगा, यथा-

(क) कुलपति,

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि,

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि,

(घ) निजी विश्वविद्यालय के दो क्रमानुसार वरिष्ठतम प्राध्यापक,

(ङ) निजी विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठतम शिक्षक जो उपधारा (1) (घ) के अतिरिक्त-चक्रीय क्रम में लिये जावेंगे.

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल का अध्यक्ष होगा.

(3) प्रबंध मंडल की शक्तियों एवं दायित्व ऐसे होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किये जावेंगे.

(4) प्रति दो माह में प्रबंध मंडल की कम से कम एक बैठक होगी.

(5) प्रबंध मंडल की बैठकों में गणपूर्ति पांच का होगा.

शैक्षणिक परिषद्. 24. (1) शैक्षणिक परिषद् में कुलपति तथा ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित की जावेगी :

(2) कुलपति शैक्षणिक परिषद् का अध्यक्ष होगा.

(3) शैक्षणिक परिषद् निजी विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी तथा इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण बनाये रखेगी.

(4) शैक्षणिक परिषद् की बैठकों में गणपूर्ति परिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगी..

25. निजी विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, संविधान, शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य ऐसे होंगे जैसा कि संविधियों द्वारा निर्धारित किये जावेंगे. अन्य प्राधिकारी.

26. (1) इस अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निजी विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम द्वारा निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय का प्रावधान कर सकेगा, यथा- प्रथम परिनियम.

(क) समय-समय पर गठित निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ एवं कर्तव्य.

(ख) कुलपति की नियुक्ति की शर्तें तथा उसकी शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य.

(ग) कुलसचिव, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति की शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य.

(घ) अन्य अधिकारियों एवं संकाय के सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य.

(ङ) निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें.

(च) अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थता हेतु प्रक्रिया.

(छ) मानद उपाधियाँ प्रदान करना.

(ज) शिक्षा शुल्क से मुक्ति तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी प्रावधान.

(झ) प्रवेश संबंधी नीति, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, विकलांग एवं लड़कियों की श्रेणियों के छात्र-संख्या के आरक्षण का नियमन भी समाहित हो.

(ञ) छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क तथा ऊपर (झ) में उल्लेखित श्रेणियों की रियायत का प्रावधान.

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु छात्र-संख्या का प्रावधान.

परंतु, यह कि निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्वानुमोदन बिना, छात्रों से दान अथवा कैपिटेशन शुल्क लेने संबंधी कोई परिनियम नहीं बनायेगा.

(2) निजी विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा विनियामक आयोग के अनुमोदन उपरांत बनाया जायेगा.

(3) विनियामक आयोग, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियमों पर उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर विचार करेगा एवं ऐसे संशोधनों सहित, जैसा कि वह उचित समझे, अपना अनुमोदन प्रदान करेगा.

(4) विश्वविद्यालय, प्रथम परिनियमों पर, जैसा कि वे विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित की गई हैं, अपनी सहमति संसूचित करेगा तथा यदि विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग द्वारा उपधारा (3) के अंतर्गत किये गये संशोधनों के क्रियान्वयन हेतु सहमत न हो, तो वह उसका कारण बता सकेगा. विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को विनियामक आयोग स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है.

(5) राज्य सरकार, प्रथम परिनियमों को, जैसा कि विनियामक आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है, राजपत्र में प्रकाशित करेगा एवं तत्पश्चात् ऐसे परिनियम प्रभावशील होंगे.

अनुगामी परिनियम. 27. (1) इस अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अधीन निजी विश्वविद्यालय के परिनियम में निम्नलिखित में से समस्त अथवा किन्हीं विषयों का प्रावधान हो सकेगा-

(क) निजी विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारी का सृजन.

(ख) लेखा नीति एवं वित्तीय प्रक्रिया.

(ग) निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व.

(घ) नये विभागों का निर्माण तथा विद्यमान विभागों का विलयन या पुनर्गठन.

(ङ) पदक एवं पुरस्कारों का सृजन.

(च) पदों का सृजन एवं विलयन.

(छ) शुल्क का पुनर्निधारण.

(ज) विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित छात्र-संख्या में परिवर्तन.

(झ) अन्य ऐसे विषय जो अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्धारित होने हैं.

(2) प्रथम परिनियमों के अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालय के अन्य परिनियम, प्रबंध मंडल द्वारा, शासी निकाय के अनुमोदन से बनायी जायेंगी.

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत निर्मित परिनियम विनियामक आयोग को भेजी जायेंगी तथा विनियामक आयोग, यदि आवश्यक समझे तो, उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर उनमें संशोधन के सुझाव दे सकेगा.

(4) शासी निकाय, विनियामक आयोग द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर विचार करेगा एवं परिनियमों को अपनी टिप्पणी सहित विनियामक आयोग को वापस भेजेगा.

(5) विनियामक आयोग, शासी निकाय द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगा एवं राज्य शासन, विनियामक आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित परिनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा एवं ऐसे प्रकाशन के पश्चात् वे प्रभावशील होंगे.

प्रथम अध्यादेश. 28. (1) इस अधिनियम, नियम तथा परिनियमों द्वारा निर्मित प्रावधानों के अधीन प्रथम अध्यादेश, निम्नलिखित समस्त बिन्दुओं में से किसी बिन्दु पर विचार कर सकता है अर्थात्-

(क) निजी विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, विकलांग एवं लड़कियों पर विशेष विचार रखा जावेगा.

(ख) निजी विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, पत्रोपाधियों व प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों का निर्धारण,

(ग) निजी विश्वविद्यालय की उपाधियों, पत्रोपाधियों, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य का प्रदान किया जाना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ एवं उन्हें प्रदान करने एवं प्राप्त करने संबंधी अपनाये जाने वाली प्रणाली,

(घ) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने संबंधी शर्तें,

(ङ) परीक्षा समितियों, परीक्षकों एवं मॉडरेटरों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं उनकी सेवावधि व शर्तों सहित परीक्षाओं का संचालन,

(च) निजी विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों एवं पत्रोपाधियों के शुल्क का निर्धारण,

(छ) निजी विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें,

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रावधान,

(झ) निजी विश्वविद्यालय के अकादमिक वातावरण में सुधार हेतु आवश्यक होने पर किसी अन्य निकाय का सृजन, गठन एवं कार्यकलाप,

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के संस्थाओं से सहयोग एवं सहभागिता की प्रणाली,

(ट) अन्य सभी प्रकरण, जो इस अधिनियम या परिनियमों के अंतर्गत हैं, अध्यादेशों द्वारा प्रस्तुत होने हैं.

(2) निजी विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा बनाया जायेगा जो विनियामक आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा.

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत कुलपति द्वारा बनाये गये अध्यादेशों पर विनियामक आयोग उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर विचार करेगा एवं उसे या तो अनुमोदित करेगा या संशोधन के सुझाव देगा.

(4) कुलपति, विनियामक आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर अपनी टिप्पणी देगा एवं "प्रथम अध्यादेश" को विनियामक आयोग को वापस करेगा एवं उसकी प्राप्ति पर विनियामक आयोग या तो उसे अनुमोदित करेगा या उसे अस्वीकार कर देगा, एवं उसके अंतिम निर्णय के आधार पर अध्यादेश, जैसा कि विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित होगा, राजपत्र में राज्य शासन द्वारा प्रकाशित किया जायेगा एवं ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रभावशील हो जायेगा.

29. (1) प्रथम अध्यादेश के अतिरिक्त शेष सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद् द्वारा प्रबंध मंडल के अनुमोदन से निर्मित किये जायेंगे, अनुगामी अध्यादेश.

(2) विनियामक आयोग उपधारा 1 अंतर्गत निर्मित अध्यादेशों का अनुमोदन करेगा तथा ऐसा अनुमोदित सभी अध्यादेश राज्य शासन, राजपत्र में प्रकाशित करेगा तथा ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रभावशील हो जायेंगे.

30. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी द्वारा की गई कोई कार्यवाही केवल कोई रिक्ति होने के कारण अथवा गठन की त्रुटि होने के कारण अवैध नहीं होगी. रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की कार्यवाही की अवैधता का कारण नहीं.

आपात रिक्तियों की पूर्ति.

31. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा निकायों के सदस्यों की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा सदस्य को मुक्त करने अथवा जिस पद पर नियुक्तिं या नामांकन हुआ था उसमें परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा यथाशीघ्र पूर्ति किया जावेगा, जिसके द्वारा पहले ऐसा कियां गया हो.

परंतु निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अथवा निकाय की आपात रिक्तियों में सदस्य के रूप में नियुक्ति अथवा नामांकित होने पर वह सदस्य उस शेष समायावधि के लिये नियुक्ति या नामांकित होगा जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामांकन हुआ है.

समिति.

32. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसी समितियों का गठन कर सकते हैं जिनके अभ्युद्देश्य की शर्तें वैसी होंगी जैसी कि इस प्रकार के समिति के विशेष कार्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो. इस प्रकार की समितियों का गठन एवं उनके कर्त्तव्य वैसे ही होंगे जैसे कि परिनियम में विहित हो.

विश्वविद्यालय अभिलेख साक्ष्य का उपकरण.

33. निजी विश्वविद्यालय द्वारा संधारित अथवा विश्वविद्यालय के कब्जे की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही किसी प्राधिकारी या समिति के प्रस्ताव अथवा अन्य दस्तावेज अथवा किसी पंजी की प्रविष्टि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किये जाने पर प्रथम दृष्टया ऐसी रसीद, नोटिस, आवेदन, प्रोसिडिंग प्रस्ताव अथवा इस प्रकार के विषय तथा व्यवहार के रूप में उसी प्रकार ग्राह्य होगीं जैसा कि मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की दशा में होगी.

विनियम.

34. (1) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन गठित निजी विश्वविद्यालय के प्रधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत, परिनियम एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत विनियम का निर्माण कर सकेंगे.

(2) प्रबंध मंडल द्वारा इस धारा के अंतर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा निर्मित विनियम को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा.

परिनियम अध्यादेश और विनियम की प्रभावशीलता.

35. सभी परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम शासन के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् प्रभावशील होंगे.

अध्याय-चार : निजी विश्वविद्यालय का विनियम

विनियामक आयोग.

36. (1) निजी विश्वविद्यालयों के विनियम के लिये राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जावेगा जो राज्य शासन एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरण के बीच अध्यापन, परीक्षा, शोध एवं अन्य कार्यक्रम में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चत करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तर्कसंगत सेवा शर्तें सुनिश्चित करने के लिये होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाए रखेगा.

(2) विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा.

(3) विनियामक आयोग के गठन में;

(क) एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य जिनमें से एक सदस्य ''सदस्य अकादमिक'' और दूसरा ''सदस्य प्रशासनिक'' होगा तथा दो से अनधिक अंशकालिक सदस्य होंगे जो कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जायेंगे.

(ख) एक पूर्णकालिक या अंशकालिक सचिव होंगे.

(4) अध्यक्ष की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा एक ऐसे पेनल से की जायेगी जिसकी अनुशंसा राज्य शासन के द्वारा की गई हो और जिसमें ऐसे ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों को शामिल किया गया हो, जिन्हें उच्च शिक्षा की संस्थाओं के कार्य का समुचित अनुभव हो.

(5) सदस्यों की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसे पेनल में से की जायेगी जिसे राज्य शासन द्वारा अनुशंसित किया हो और जिसमें शिक्षा, वित्त, विधि, प्रशासनिक/प्रबंधन आदि में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों के नाम शामिल हों.

(6) अध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे होंगे जो कि इस अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों से किसी तरह से संबंधित न हो.

(7) अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें, बैठकों की विधि, आयोग के कर्मचारीवृंद की नियुक्तियों और उनकी सेवा शर्तों, विशिष्ट प्रयोजनों के लिये अस्थायी सहयुक्ति, आयोग की निधि, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा, अंकेक्षण और इस प्रकार के अन्य मामले जो कि आयोग के सही संचालन के लिये आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये नियमों द्वारा उल्लिखित होंगे.

(8) विनियामक आयोग का यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि :-

(क) निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और शोध के लिये मानक स्तर बनाए रखने के लिये ऐसे आवश्यक कदम उठाना जो वह उचित समझें,

(ख) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय को कितना शुल्क और अन्य राशि एकत्रित करने का अधिकार हो ताकि वे उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को वसूल कर सके और साथ में उनके पास कुछ तर्कसंगत राशि बच भी सके जिसका उपयोग वे संपत्ति के संधारण और आगे के विस्तार के लिये कर सके.

(ग) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त शिक्षकों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक अभिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ हो.

(घ) सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार हुई है तथा विश्वविद्यालय की परिनियमों, अध्यादेशों के सुसंगत है.

(ङ) सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के साथ शोषण न हो और उनसे शुल्क वसूल करने के लिये गलत तरीके न अपनाए जाये.

(च) निजी विश्वविद्यालय के विघटन संबंधी सभी मामले में कार्यवाही करें, जिसमें विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन करने एवं उपाधि देने का कार्यक्रम शामिल है. इस कार्य को किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस प्रकार सौपेंगे ताकि विद्यार्थियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो. विद्यार्थियों के लिये किये जाने वाले इन सब कार्यों पर तथा साथ में विश्वविद्यालयों के विघटन पर होने वाले व्यय को विन्यास निधि एवं/सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा.

(छ) निजी विश्वविद्यालय के परामर्श से राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित अध्ययन केन्द्रों का नियमन करना.

(9) नीति विषयक प्रश्नों पर राज्य शासन विनियामक आयोग को निर्देश दे सकेगा.

वार्षिक प्रतिवेदन. 37. (1) प्रबंध मंडल द्वारा निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा, जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उठाये गये कदमों का समावेश होगा तथा जिसका अनुमोदन शासी निकाय द्वारा किया जावेगा, एवं इसकी एक प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जायेगी.

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति कुलाध्यक्ष एवं विनियामक आयोग को भी प्रस्तुत की जावेगी.

वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा. 38. (1) निजी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा बैलेन्सशीट प्रबंध मंडल के निर्देशों के अधीन तैयार की जावेगी तथा वार्षिक लेखा का परीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जावेगा.

(2) वार्षिक लेखा सहित, लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शासी निकाय को प्रस्तुत किया जावेगा.

(3) वार्षिक लेखा, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा शासी निकाय की टीप सहित एक प्रति कुलाध्यक्ष को तथा एक प्रति विनियामक आयोग को प्रस्तुत की जावेगी.

(4) लेखा तथा ऑडिट रिपोर्ट से उत्पन्न विषय पर विनियामक आयोग द्वारा दिए गए निर्देश, विश्वविद्यालय के लिए बंधनकारी होंगे.

नियतकालिक निरीक्षण. 39. (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय या उसके किसी केन्द्र का नियतकालिक निरीक्षण कर सकता है. इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित निजी विश्वविद्यालय से आवश्यक जानकारियां मांग सकता है (विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए विवरण पत्र नियम 1979 में समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित दिये गये हो).

(2) निजी विश्वविद्यालय जो प्रथम उपाधि और/स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि पाठयक्रम प्रदान करती है, के निरीक्षण एवं मूल्यांकन के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजी विश्वविद्यालय की कोई न्यूनता एवं असमानता पाती है तो ठीक करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेंगी. यदि आयोग इस बात से संतुष्ट होता है कि निजी विश्वविद्यालय ने ऐसा अवसर प्राप्त होने के उपरान्त भी किसी नियमन में दिये गये प्रावधानों की पूर्ति करने में असफल है तो आयोग ऐसे आदेश प्रसारित कर सकता है जो निजी विश्वविद्यालय को प्रथम उपाधि और/स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि पाठ्यक्रम जैसी भी स्थिति हो, को प्रतिबंधित करने का आदेश तब तक के लिए प्रसारित कर सकता है जब तक न्यूनताओं की प्रतिपूर्ति न कर ली गई हो.

(3) निजी विश्वविद्यालय जो प्रथम उपाधि और/स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि प्रदान करता है किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित नहीं है, उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यवाही कर सकता है तथा जन-सामान्य को लोक अधिसूचना द्वारा सूचित करेगा. ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 24 के अधीन ऐसे निजी विश्वविद्यालय को जो इस प्रकार के कार्यक्रम चलाता है तथा ऐसी गैर निर्धारित उपाधियां देता है को दंडित किया जा सकता है.

अध्याय-पॉंच : निजी विश्वविद्यालय का परिसमापन

40. (1) यदि प्रायोजक निकाय अपने को विघटित कराना चाहे या अधिनियम के तहत स्थापित निजी विश्वविद्यालय को चलाना बंद करना चाहे, तो वह इस संबंध मे अपनी योजना की सूचना विनियामक आयोग को देगा जिसमें पाठ्यक्रम व परीक्षा पूरी करने की व्यवस्था सुनिश्चितं करना तथा भविष्य की उस तिथि की भी सार्वजनिक घोषणा की जायेगी जिसके बाद फिर नये विद्यार्थियों को भर्ती नहीं किया जायेगा.

प्रयोजक निकाय के विघटन होने पर विश्वविद्यालय का प्रबंधन.

(2) इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर विनियामक आयोग को यह अधिकार होगा कि वह प्रायोजक निकाय को ऐसा निर्देश दे जो उपधारा 1 के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो. यदि प्रायोजक निकाय उपधारा 1 के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो विनियामक आयोग विन्यास निधि को समपहृत कर लेगा और पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन, उपाधि देने आदि के संबंध में या तो स्वयं कार्य करने या यह कार्य किसी अन्य विश्वविद्यालय को सौंपने संबंधी व्यवस्था इस प्रकार करेगा कि विद्यार्थियों के हित किसी तरह प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों विद्यार्थियों के लिए की गई इन व्यवस्थाओं पर जो व्यय होगा, उसे विन्यास निधि एवं/या विश्वविद्यालय की सामान्य निधि से पूरा किया जायेगा.

41. (1) यदि विनियामक आयोग के प्रतिवेदन पर या अन्यथा राज्य शासन को यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत जारी ऐसे किसी निर्देश का विश्वविद्यालय द्वारा उल्लंघन किया गया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय तथा प्रशासनिक कुप्रबंधन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वह निजी विश्वविद्यालय को 45 दिन का कारण बताओ सूचना, इस आशय का जारी करेगा कि :-

कतिपय परिस्थितियों में राज्य शासन की विशेष शक्तियॉं.

(क) क्यों न उसके परिसमापन का आदेश प्रसारित किया जावे,

(ख) क्यों न उपधारा (7) के अंतर्गत प्रबंध मंडल को निलंबित कर, प्रशासक नियुक्त कर दिया जावे.

(2) यदि राज्य शासन की यह धारणा बनती है कि उचित जांच के लिये प्रबंध मंडल को निलंबित करना आवश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर प्रबंध मंडल को निलंबन के आदेश देगा और प्रायोजक निकाय के परामर्श से निजी विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन हेतु जांच पूर्ण होने की अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी कि वह आश्यक समझे.

(3) निजी विश्वविद्यालय को उपधारा (1) के तहत जारी की गई सूचना का उत्तर प्राप्त कर यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, कुप्रबंधन, कुप्रशासन या अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत जारी किये गये निर्देशों के उल्लंघन का है, तो वह ऐसी जांच के आदेश प्रसारित करेगा जो आवश्यक हो.

(4) उपधारा (3) के अंतर्गत राज्य शासन किसी भी आरोप की जांच के लिए कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी नियुक्त करेगा और उसे जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहेगा.

(5) उपधारा (4) के अंतर्गत नियुक्त जांच अधिकारी को वे सभी शक्तियॉं प्राप्त होंगी जैसा कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का क्र. 40) के अंतर्गत निम्नांकित मामलों के संबंध में किसी वाद के निराकरण हेतु आवश्यक हों यथा-

(क) गवाहों को समन्स जारी करने तथा उनके उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा किसी व्यक्ति का शपथ पर परीक्षण करना.

(ख) किसी दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री जो साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती हो, का अन्वेषण प्रस्तुत किया जाना.

(ग) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से सार्वजानिक अभिलेख मंगवाया जाना.

(घ) अन्य कोई बिन्दु जो निर्धारित की जावे.

(6) इस अधिनियम के अंतर्गत जॉच कर रहे प्रत्येक जॉच अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का क्र. 2) की धारा 195 तथा अध्याय 26 के प्रयोजन हेतु व्यवहार न्यायालय माना जावेगा.

(7) जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत यदि राज्य शासन संतुष्ट होता है कि वित्तीय कुप्रबंधन और कुप्रशासन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि निजी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता या प्रशासन असुरक्षित हो गया है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निजी विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश देगा अथवा निजी विश्वविद्यालय की गतिविधियों को चलाये रखने हेतु एक प्रशासक को नियुक्त कर सकेगा जिसे शासी निकाय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे.

परंतु विघटन का कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसे विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टि को अधिनियम की अनुसूची से हटा न दिया जाये.

(8) उपधारा (7) के अंतर्गत समापन की अधिसूचना प्रसारित करने के समय राज्य शासन वर्तमान पाठ्यक्रम की समाप्ति के अंत तक कार्य नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रशासन के संचालन हेतु व्यवस्था करेगा.

(9) उपधारा (8) के अंतर्गत विश्वविद्यालय की व्यवस्था की अवधि में राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध राशि का उपयोग किया जावेगा तथा अतिरिक्त राशि यदि कोई हो तो स्वयं के हेतु जब्त किया जायेगा.

(10) जॉच की प्रकिया में और विद्यार्थियों के प्रवेश पूर्ण होते तक हुए सभी व्यय विश्वविद्यालय के विन्यास निधि और सामान्य निधि से पूर्ण किये जायेंगे.

अध्याय-छः : प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति.

42. (1) राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी.

(2) ऐसे नियम विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित बातों के बारे में सभी अथवा किसी का प्रावधान होगा यथा-

(क) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की प्रक्रिया तथा धारा 4 की उपधारा 1 के अंतर्गत देय शुल्क,

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत परियोजना प्रतिवेदन में निहित अन्य विवरण,

(ग) धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत विन्यास निधि के स्थापना की विधि, राशि के विनियोजन की विधि, प्राप्त आय की प्रायोजक निकाय को भुगतान की विधि, उसके समपहृत करने की विधि तथा उसका उपयोग करने की विधि,

(घ) धारा 12 (ङ) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त शुल्क और इस प्रकार संकलित राशि को संचित निधि में जमा करने की विधि,

(ङ) धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत अन्य विषय, जिनका प्रावधान संविधि द्वारा किया जाना है,

(च) अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा-शर्तों आयोग की बैठकों की विधि एवं आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा-शर्तों किसी विशेष प्रयोजन के लिए आयोग के कार्यों से व्यक्तियों को जोड़ना आयोग कि निधियों, इसके बजट, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा तथा अंकेक्षण और इस प्रकार की अन्य बातें जो अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन आयोग के समुचित कृत्यों के लिए अपेक्षित है,

(छ) इस अधिनियम के नियम द्वारा निर्धारित अन्य कोई बिन्दु जो आवश्यक हैं या हो सकते हैं.

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये प्रत्येक नियम राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जायेंगे.

43. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंध के असंगत जैसा आवश्यक समझे या कठिनाईयों को दूर करने के लिए समीचीन हो, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रवाधान कर सकती है. कठिनाईयों के निराकरण की शक्तियाँ.

44. छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक-2) एवं इस अधिनियम के प्रभावशील होने के ठीक पहले तक, यदि कोई आदेश, नियम या संकल्प हो तो जैसी भी स्थिति हो वे इसके उपरान्त, विखंडित या निरस्त माने जावेंगे. निरसन एवं व्यावृत्ति.

इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन धारा 5 एवं 6 को छोड़कर, सभी आदेश या की गई कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों द्वारा दिए गए या कि, की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

अनुसूची

[धारा 9 (1) के अंतर्गत]

अ. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की विधि	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त, 2005

क्रमांक 6886/21-अ/प्रारूपण/04.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2005)

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2005

INDEX

CHAPTER-IV

REGULATION OF PRIVATE UNIVERSITY

CHAPTER-V

WINDING OF PRIVATE UNIVERSITY

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2005)

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2005

An Act to provide for establishment and for incorporation of self- financed Universities in the State of Chhattisgarh for imparting Higher Education, and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fiftysixth year of the republic of India as follow :

CHAPTER - I : PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the "CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2005."

(2) It extends to whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires :-

(1) "Academic Council" means Academic Council of the private university.

(2) "All India Council of Technical Education" means All India Council of Technical Education established under All India Council of Technical Education Act, 1987 (Central Act No. 52 of 1987).

(3) "Bar Council of India" means Bar Council of India constituted under Section 4 of the Advocates Act, 1961 (No. 25 of 1961).

(4) "Board of Management" means Board of Management of the private university.

(5) "Chancellor" means Chancellor of the private university.

(6) "Chief Finance and Accounts Officer" means Chief Finance and Accounts Officer of the private university.

(7) "Distance Education Council" means Distance Education Council established under Section 28 of Indira Gandhi National Open University Act, 1985 (No. 50 of 1985).

(8) "Endowment Fund" means Endowment Fund of the Private University.

(9) "Fee" means collection made by the private university from the students, by whatever name it may be called.

(10) "Government" means Government of Chhattisgarh.

(11) "Governor" means Governor of Chhattisgarh.

(12) "Governing Body" means Governing Body of the private university.

(13) "Higher Education" means study of curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level.

(14) "Medical Council of India" means Medical Council of India constituted under the Indian Medical Council Act, 1956 (No.2 of 1956).

(15) "Main Campus" means Main Campus of the private university situated

in Chhattisgarh, consisting of minimum five university teaching departments/schools of studies and where Vice-Chancellor and Registrar reside and also the main office of the private university is located.

(16) "National Council of Assessment and Accreditation" means the National Council of Assessment and Accreditation, Banglore, an autonomous Institution of UGC.

(17) "Off-Campus Centre" means centre of the private university established outside the main campus but within the State, operated and maintained as its constituent unit.

(18) "Ordinance" means Ordinance of the private university.

(19) "Other Backward Class" means Other Backward Classes which may be declared by the State Government from time to time by Notification.

(20) "Private University" means a private university established and incorporated under this Act.

(21) "Pharmacy Council of India" means Pharmacy Council of India constituted under the Pharmacy Act, 1948 (No. 8 of 1948).

(22) "Regulatory Body" means a Central or a State Regulatory Body established by the Central or State Government for laying down norms and conditions for ensuring standards of higher education.

(23) "Regulatory Commission" means Commission established under Section 36 of this Act.

(24) "Regulations" means Regulations made under the provisions of the Act.

(25) "Registrar" means Registrar of the private university.

(26) "State" means State of Chhattisgarh.

(27) "Study Centre" means centre established in the State and maintained by the private university for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education which implies imparting education by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology.

(28) "Statute" means Statute made under the provisions of the Act.

(29) "Sponsoring Body" in relations to a private university means :-

(a) A Society registered under Chhattisgarh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No 44 of 1973);

(b) Any registered Public Trust;

(c) A Company registered under Section 25 of the Company Act 1956 (No. 1 of 1956); and

(d) Any other body registered under any Act time being in force.

(30) "Student" means a person enrolled in the private university for pursuing a course of study for the award of a degree / diploma / certificate or other academic distinction.

(31) "Schedule" means Schedule appended to the Act.

(32) "Scheduled Caste" means the Scheduled Castes specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India.

(33) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribes specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India.

(34) "School of Studies" means an institution maintained by private university as a place of the higher learning and research.

(35) "Teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or a person known by any other designation who is required to impart education or to guide research or to render guidance to the students for pursuing a course of study of the university.

(36) "University Grants Commission" means the Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956).

(37) "UGC REGULATIONS, 2003" means UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003.

(38) "Visitor" means Visitor of the private university.

(39) "Vice-Chancellor" means Vice-Chancellor of the private university.

(40) "BPL Family" means a family whose income is below the poverty line as specified by the Government from time to time.

CHAPTER - II : ESTABLISHMENT OF PRIVATE UNIVERSITY

Objects of the private university.

3. The following shall be the general objects of the private university :-

(a) To provide instructions, teaching and training in Higher Education and make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge.

(b) To create higher levels of intellectual abilities.

(c) To establish state of the art facilities for education and training.

(d) To carry out teaching and research and offer continuing education programmes.

(e) To create centers of excellence for research and development and for sharing knowledge and its application.

(f) To provide consultancy to the industry and public organizations.

(g) To maintain the standard of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions in accordance with the norms laid down by UGC, AICTE, BCI, MCI, DEC, or any other Regulatory Body.

(h) To pursue any other objective as may be approved by the State Government based on the recommendations of the Regulatory Commission from time to time.

Submission of proposal for establishment of a private university.

4. (1) An application containing the proposal and the project report to establish a private university for carrying out the objectives enumerated in Section 3 of this Act shall be made by the sponsoring body, to the Regulatory Commission along with such fee and in such form with the project report as may be prescribed.

(2) The project report shall contain the following particulars, namely : -

(a) the details of the sponsoring body along with the copies of its registration certificate, constitution and bye-laws;

(b) the information regarding financial resources of the sponsoring body along with audited accounts for past three years;

(c) the name, location and main campus of the proposed private university;

(d) the objectives of the private university ;

(e) availability of land, and details of buildings and infrastructure facilities;

(f) the details of plans for campus development such as construction of buildings, development of structural amenities and infrastructural facilities and procurement of equipment etc., to be undertaken before the private university starts functioning, and the phase-wise programme for five years;

(g) phased outlays of capital expenditure proposed for five years and its sources of finance;

(h) the nature and the number of faculties such as Science, Arts, Commerce, Technology, Education etc., types of programmes (under graduate / post graduate) of study and research proposed to be undertaken by the private university in each faculty, and their relevance to the developmental goals of the state, and phasing of such programmes for five years with coursewise enrolment targets;

(i) the experience and expertise in the concerned disciplines at the command of the sponsoring body;

(j) availability of academic facilities such as teaching staff, technical / non technical staff, equipments etc., required for the courses of study and research;

(k) the estimated recurring expenditure coursewise or activity-wise, sources of finance and estimated expenditure per student;

(l) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayment to such sources;

(m) the scheme for generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from consultancy services and other activities relating to the objects of the private university, and other anticipated income;

(n) the proposed fee structure for the different courses, with reference to the details of expenditure on unit cost and the extent of concessions or rebates in fee or free-ships and scholarships, if any, for the students belonging to scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes and BPL families;

(o) the system proposed to be followed for selection of students for admission to the courses of study at the private university;

(p) the system proposed to be followed for appointment of teachers and other employees at the private university;

(q) details of distance education programme with proposed study centres;

(r) programmes related to local needs, the nature of specialized teaching, training or research activities;

(s) programmes for the benefit of farmers, women and industries especially located in this State;

(t) details of play grounds and other facilities available or proposed to be created for games and sports and extra curricular activities like National Cadet Corps, National Service Scheme, Scouts and Guides etc;

(u) establishment of off-campus centres and study centres specially in the Scheduled areas of the state;

(v) justification regarding the necessity of establishing the proposed private university.

Evaluations of the Proposal.

5. (1) The Regulatory Commission shall, on receipt of the proposal and the project report for establishment of a private university, make such scrutiny, as far as possible within 7 days from the receipt of proposal as to the facts stated in the project report, as it may deem necessary.

(2) The Regulatory Commission in course of scrutiny may ask for any additional information from the sponsoring body, and after receipt of such information, the Regulatory Commission shall evaluate the project proposal as far as possible, within 45 days. In the course of evaluation, the Regulatory Commission shall take into consideration, the following :-

(a) existing facilities for higher education and research in the area in which the private university is proposed to be established;

(b) the proposed private university has some special features or new programmes and activities which will augment the existing academic resources in the State and help in human resource development;

(c) the private university shall have programmes for the upliftment of backward areas or removal of regional imbalances by starting off campus centres in the Scheduled areas of the state;

(d) the main motive for establishment of the private university is of social service and welfare of youths by providing them high quality education.

Issuing letter of Intent.

6. (1) After inquiry and evaluation as provided in Section 5, if Regulatory Commission is of opinion that an opportunity to establish a private university be given to the Sponsoring Body, it shall make its recommendation to the state government to issue a *Letter of Intent* to the sponsoring body in this regard.

(2) After receiving the recommendation from Regulatory Commission, State Government may issue letter of intent to the Sponsoring Body with regard to establishment of private university in the State.

Conditions for establishing a private university.

7. The letter of intent as provided under Section 6 (2) shall contain the following conditions, which the sponsoring body will be required to fulfill for establishing a private university in the State ; namely : -

(1) It shall establish :-

(a) the main campus, off-campus centres and study centres within the state;

(b) *an endowment fund* in accordance with the provisions of Section 11 of the Act.

(2) It shall procure a minimum :

(a) 15 acres land in case the main campus is proposed to be established within the Municipal Corporation limits of Raipur.

(b) 25 acres of land in case the main campus is proposed to be established at any other place;

and submit its ownership papers.

(3) It shall make available *a minimum built up area of 25,000 square feet* in the form of buildings, and ancillary structures for administrative purposes and for conducting the academic programmes.

(4) It shall give an undertaking :-

(a) that the land and buildings of the private university shall be used for the purpose of the private university only;

(b) further, to appoint immediately after incorporation of the private university and before starting of the classes, adequate number of faculty members along with necessary supporting staff in each department or discipline;

(c) to procure equipments, computers, furniture, and other essential items and invest a minimum of Rs.20 lacs per year during first five years;

(d) to purchase books and journals at least worth Rs.10 lacs in the first year and to invest not less than Rs. 50 lacs on books, journals, computer networking and other facilities to make the library facilities adequate for contemporary teaching and research within first three years;

(e) to take up co-curricular activities to foster a proper academic and healthy environment, such as seminars, debates, quiz programmes and extracurricular activities like games, sports, National Service Scheme, National Cadet Corps etc., for the benefit of students as per the norms laid down by the regulatory bodies;

(f) to establish welfare programmes for the employees of the private university;

(g) to fulfill such other conditions and provide such other information as may be prescribed by the central regulatory bodies from time to time;

(h) to fulfill the minimum criteria in terms of programmes, faculty, infrastructural facilities, financial viability etc. as laid down from time to time by the regulatory bodies;

(i) that the programmes of study leading to a degree and / or a postgraduate degree/diploma offered by a private university shall conform to the relevant regulations/norms of the UGC or the concerned statutory bodies as amended from time to time;

(j) that the admission procedure and fixation of fees shall be in accordance with the norms / guidelines, if any, prescribed by the regulatory bodies;

(k) that the teaching staff of the private university shall have at least the minimum qualifications prescribed by the U.G.C. or other concerned regulatory bodies, and be paid appropriate emoluments;

(l) that the private university shall be open to all persons of either sex, and it shall not discriminate on grounds of caste, creed, religion, race, and it shall not be lawful for the private university to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or any profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of the private university or to hold any other office therein or to be admitted as a student or to enjoy or exercise any privilege thereof;

(m) that the admissions and conduct of classes shall not be started till concerned Statutes, Ordinances are approved as per provisions of this Act.

Submission of Compliance Report, Verification and Inspection.

8. (1) The sponsoring body shall submit the Compliance Report and an undertaking alongwith the relevant documents to the Regulatory Commission.

(2) After receiving the Compliance Report from the sponsoring body, the Regulatory Commission shall examine the same and factual data in the manner it may deem fit, including spot inspection.

(3) The Regulatory Commission, after examination of the Compliance Report and the Undertaking as mentioned under Sub-section (2) above, finds any shortcomings in the same, it may direct the sponsoring body to remove the identified shortcomings at the earliest.

(4) The Regulatory Commission on being satisfied that the identified shortcomings, as mentioned under Sub-section (3) above, have been removed, it shall send its report regarding status of the proposal for establishment of the private university to the State Government within 15 days from the date of receipt of the report from sponsoring body regarding removal of identified shortcomings.

(5) The State Government may, after the receipt of the report from the Regulatory Commission mentioned under Sub-section (4) above, ask the University Grants Commission for inspection of the proposed private university.

Provided that University Grants Commission shall submit the report within a maximum period of three months, or else, the state government may take such decision as it may deem fit.

Establishment and Incorporation.

9. (1) The State Government, if satisfied considering the report submitted by the Regulatory Commission under Section 8 and Inspection Report of the UGC, if any, that the Sponsoring Body has complied with the provisions of Section 7 and a private university may be established on the basis of its proposal, shall establish, by amending the Schedule appended to this Act, a private university with such name and description as may be specified in this behalf.

(2) Such a private university shall be deemed to have been incorporated from the date of the amendment in the schedule in this behalf.

Provided that, the period between the date of incorporation as mentioned under sub-section (2) above, and the date of submission of the application mentioned under sub-section (1) of section 4, shall not be more than 6 months.

(3) The private university shall be a body corporate by such name, as shown in the Schedule, having perpetual succession, and common seal with powers subject to the provisions of this Act, to acquire and own property, to contract, and shall sue and be sued by the said name.

(4) In all the suits and other legal proceedings by or against such private university, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and be served on the Registrar.

(5) The main campus of the private university shall be at such place as shown in column 5 of the Schedule

CHAPTER - III : OPERATION AND MANAGEMENT OF PRIVATE UNIVERSITY

Private university to be self-financed.

10. The private university shall be self-financed. However, the Government may consider providing it financial/physical incentives for reasons to be recorded in writing.

Endowment Fund.

11. (1) On receipt of the letter of intent from the State Government as provided under Section 6 (2) above, a sponsoring body willing to fulfill the conditions and give undertakings as mentioned in the letter of intent, shall establish an endowment fund for the private university by depositing the amount in the Fund of the Regulatory Commission, in the manner prescribed, as under :-

(a) *One crore rupees* in case the private university is to be established in a Scheduled Area of the State.

(b) *Three crore rupees* in other cases;

Provided that any deposit in the endowment fund prior to the commencement of this Act by the sponsoring body shall be adjusted.

(2) The endowment fund shall be used as security deposit to ensure that the private university complies with the provisions of the Act, Statutes and Ordinances. The State Government, may forfeit, after giving notice, whole or part of endowment fund on the recommendation of the Regulatory Commission in case of a breach or contravention of any provisions of the Act, Statute, Ordinance, or Regulations by the sponsoring body.

(3) The mode of establishment of endowment fund, the manner of its investment, the payment of income from it to the sponsoring body, its forfeiture and mode of its return to the sponsoring body shall be such, as may be prescribed.

General Fund.

12. Every private university shall establish a fund, which shall be called the general fund to which the following shall be credited, namely :-

(a) fees and other charges received by the private university;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other work undertaken by the private university in pursuance of its objectives;

(d) trusts, bequests, donations, endowment and any other grants; and.

(e) all other sums received by the private university.

Provided that one percent of the fees collected from the students under clause (a), shall be deposited through bank draft/banker's cheque with the Regulatory Commission within 15 days of the month next to the month in which such fees are received. If private university fails to deposit fees within stipulated period then it shall be liable to pay such fee with penal interest at the rate of 1.5% for every 30 days. If default continues further beyond 90 days, this would tantamount to violation of the Act for which necessary action may be taken by the Regulatory Commission.

Provided further that the Regulatory Commission shall credit this amount to the Consolidated Fund of the State in due course.

Application of General Fund.

13. The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely :-

(1) repayment of debts including interest charges thereto incurred by the university for the purposes of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder;

(2) for upkeep of the assets of the private university;

(3) for the payment of the cost of audit of the funds created under Sections 11 and 12;

(4) meeting expenses of any suit or proceedings in the Court to which university is a party;

(5) /for payment of salaries and .allowances of the officers and employees of the private university and members of the teaching and research staff, and for payment of any provident fund contributions, gratuity and other benefits to any such officers and employees, and members of the teaching and research staff;

(6) for payment of travelling and other allowances of the members of the Governing Body, the Board of management, the Academic Council and other authorities so declared under the Statues of the private university, and to the members of any committee appointed by any of the authorities or by the Chairperson of the sponsoring body or the Vice-chancellor, in pursuance of any provision of the Act, Statute, Ordinances, or the Regulations made thereunder;

(7) for the payment of fellowships, free-ships, scholarships, assistantships and other awards to the students belonging to BPL families or research associates or trainees as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the Statues, Ordinances, Regulations or Rules of the private university made under the provisions of this Act;

(8) for the payment of any expenses incurred by the private university in carrying out the provisions of this Act, and the Statutes, Ordinances, or the Regulations made thereunder;

(9) for payment of cost of capital, not exceeding the prevailing bank rates of interest, incurred by the sponsoring body for setting up the private university and the investments made there for;

(10) for payment of charges and expenditure relating to the consultancy work undertaken by the private university in pursuance of the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and the Regulations made thereunder;

(11) for the payment of any other expenses including service fee payable to any organization charged with the responsibility of providing any specific service, including the managerial services to the private university, on behalf of the sponsoring body, as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the private university;

Provided that no expenditure shall be incurred by the private university in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without the prior approval of the Board of Management;

Provided further that the general fund shall not be utilized for the objects specified under sub-section (1), without the prior approval of the Governing Body of the private university.

Officers of the University.

14. The following shall be the officers of the private university, namely :-

1. The Visitor;
2. The Chancellor;
3. The Vice-chancellor;
4. The Registrar;
5. The Chief finance and Accounts Officers;
6. Such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

The Visitor. 15. (1) The Governor of Chhattisgarh shall be the Visitor of the private university.

(2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the private university for conferring degrees and diplomas.

(3) The Visitor shall have the following powers, namely :-

(a) to appoint Vice-chancellor,

(b) to call for any paper or information relating to the affairs of the private university.

(c) if it appears on the basis of the information that any order, proceeding or decision taken by any authority of the private university is not in conformity with the provisions of this Act, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder, Visitor may ask for the opinion of the Regulatory Commission. On being satisfied that certain irregularity has taken place, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the private university and the directions so issued shall be complied with by the private university.

(d) to institute inquiry against the Vice-chancellor, on the report of the Chancellor or otherwise.

The Chancellor. 16. (1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years with the approval of the Visitor.

Provided that, for establishing the private university and making it functional, the sponsoring body shall appoint the Chancellor in consultation with the State Government for a minimum period of one year, but not exceeding three years.

(2) The Chancellor shall be the head of the private university.

(3) The Chancellor shall preside over the meetings of the Governing Body and shall, when the Visitor is not present, preside over the convocation of the private university for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely :-

(a) to call for any information or record,

(b) to report to the Visitor for removal of the Vice-chancellor, if he is satisfied on the basis of complaints that the Vice-chancellor has acted in violation of the Act, statutes or ordinances of the private university, or committed financial irregularity.

The Vice-Chancellor. 17. (1) The Vice-chancellor shall be appointed by the Visitor from the panel recommended by the Search Committee constituted for the purpose.

(2) The Search Committee referred to in Sub-section (1) shall consist of the following :-

(i) Two eminent academicians nominated by the Sponsoring Body.

(ii) One eminent person nominated by the State Government in higher education department.

The Visitor shall appoint one of the members of the Search Committee as Chairman.

(3) The Search Committee shall submit a panel of at least three eminent academicians for the appointment of Vice Chancellor.

Provided that if the Visitor does not approve the recommendation of the

Search Committee, he may call for fresh recommendation from the Committee.

Provided further that the Vice Chancellor, to carry out the business of newly established private university, shall be appointed by the Visitor on the advice of the Chancellor for a period of 2 years.

(4) The Vice-chancellor shall, subject to the provision contained in sub-section (10), hold office for a term of four years.

Provided that, a Vice-chancellor shall continue to hold the office even after expiry of his term till a new Vice-chancellor joins. However, in any case this period shall not exceed 6 months.

(5) The Vice-chancellor shall be the principal executive and academic officer of the private university, and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the private university and shall execute the decisions of various authorities of the private university.

(6) The Vice-chancellor shall preside at the convocation of the private university in the absence of the Visitor and the Chancellor.

(7) If in the opinion of the Vice-chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter;

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-chancellor then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final;

Provided further that where any such action taken by the Vice-chancellor affects any person in the service of the university, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Governing Body. The decision of the Governing Body shall be communicated to the person concerned within a maximum period of three months from the date of appeal.

(8) If, in the opinion of the Vice-chancellor any decision of any authority of the private university is not in conformity with the powers conferred by this Act, Statutes, Ordinances, or Regulations made there under or is likely to be prejudicial to the interests of the private university, he shall request the concerned authority to revise its decision. In case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor, and his decision thereon shall be final, which will be reported to the Governing Body for ratification.

(9) The Vice-chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

(10) If at any time upon representation made or otherwise, it appears to the Visitor that the Vice Chancellor

(a) has made default in performing any duty imposed on him by or under this Act, or

(b) has acted in a manner prejudicial to the interest of the private university, or

(c) is incapable of managing the affairs of the private university, the Visitor may notwithstanding the fact that the term of office of Vice Chancellor has not expired, by an order, in writing, stating the reasons therein, require Vice Chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the Order.

(11) No Order under sub-section (10) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Vice Chancellor and he is given reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(12) As from the date specified in the Order under sub-section (10), Vice Chancellor shall be deemed to have relinquished the office and the office of Vice Chancellor shall fall vacant.

The Registrar.

18. (1) The appointment of the Registrar shall be made by the Governing Body on the recommendation of the experts committee constituted for the purpose, as prescribed by the Statutes. However, the first registrar shall be appointed by the sponsoring body for a period of 2 years.

(2) All contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the private University.

(3) The Registrar shall be the Member-secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council but he shall not have a right to vote.

(4) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

(5) If at any time upon representation made or otherwise, and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the Registrar is not in the interest of the private university, the Vice-chancellor may request the Chancellor, in writing stating the reasons therein, for the removal of the Registrar.

Provided that before taking an action under this sub-section, the Registrar shall be given an opportunity of being heard.

The Chief Finance and Accounts Officer.

19. (1) The appointment of the Chief Finance and Accounts Officer shall be made by the Chancellor as may be prescribed by the Statues.

(2) The Chief finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

Other Officers.

20. (1) The private university may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the private university and their powers and functions shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Authorities of the University.

21. (1) The following shall be the authorities of the private university, namely :-

(a) the Governing Body;

(b) the Board of Management;

(c) the Academic Council;

(d) such other authorities as may be created by the Statutes shall be the authorities of the private university.

(2) The term of the nominated members on the Governing Body and the Board of Management shall be three years. No nominated member shall be nominated for more than two consecutive terms.

The Governing Body.

22. (1) The Governing Body of the university shall consist of the following, namely :-

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-chancellor;

(c) three eminent persons nominated by the sponsoring body out of whom at least one shall be noted educationist;

(d) three distinguished persons nominated by the Visitor out of a panel of six names submitted by the State Government.

(e) one representative of the State Government, not below the rank of Deputy Secretary.

(2) The Chancellor shall be the ex-officio Chairman of the Governing Body.

(3) The Governing Body shall be the highest authority of the university. All the movable and immovable property of the university shall vest in the Governing Body. It shall have following powers, namely :-

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the private university by using all such powers as are provided by this Act or the Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the private university in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the Statutes, Ordinance, or Regulations made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the private university;

(d) to lay down the policies to be followed by the private university;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the private university if a situation arises when smooth functioning of the private university is not possible;

(f) such other powers as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least three times in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

The Board of Management.

23. (1) The Board of Management shall consist of the following members, namely :-

(a) the Vice-chancellor;

(b) two representatives nominated by the sponsoring body;

(c) two representatives nominated by the State Government;

(d) two senior most professors of the private university by rotation;

(e) two senior most teachers of the private university, other than in sub-section (1) (d), by rotation.

(2) The Vice-chancellor shall be the ex-officio Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

The Academic Council. 24. (1) The Academic Council shall consist of the Vice-chancellor and such other members as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Vice-chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the private university and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulation, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the private university.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be prescribed by the Statues.

Other Authorities. 25. The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the private university shall be such as may be prescribed by the Statutes.

The First Statutes. 26. (1) Subject to provisions of this Act, and the Rules made there under, the First Statutes of the private university may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the private university as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-chancellor and his powers and functions;

(c) the manner and terms and conditions of appointment of the Registrar, Chief Finance and Accounts Officer and other Officers, and their powers and functions;

(d) the manner and terms and conditions of appointment of teachers.

(e) the terms and conditions of services of employees of the private university;

(f) the procedure for arbitration in case of disputes between officers, teachers, employees and students;

(g) the conferment of honorary degrees;

(h) the provisions regarding exemption of students from payment of tution fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(i) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats specially for students below poverty line (BPL), SC/ST, handicapped and girls categories;

(J) provisions regarding fee to be charged from students and concession for the categories mentioned in (i) above;

(k) provisions regarding number of seats in different courses.

Provided that the private university shall not make any Statute relating to charging of donation or capitation fee from the students.

(2) The first Statues of the private university shall be made by the Governing Body and shall be submitted to the Regulatory Commission for approval.

(3) The Regulatory Commission shall consider the First Statutes submitted by the private university within two months from the date of its receipt and shall give its approval with such modifications as it may deem necessary.

(4) The private university shall communicate its agreements to the First Statutes as approved by the Regulatory Commission and if it desires not to give effect to the modifications made by the Regulatory Commission under Sub-section (3), it may give the reasons therefore and the Regulatory Commission may or may not accept the suggestions made by the private university.

(5) The State Government shall publish the first Statute as approved by the Regulatory Commission in the official gazette and thereafter such Statute shall come into force.

27. (1) Subject to the provisions of this Act and the Rules made there under, the Subsequent Statutes of the private university may provide for all or any of the following matters, namely :- **The Subsequent Statutes.**

(a) creation of new authorities of the private university;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the private university;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing departments;

(e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different courses, and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be prescribed by the Statutes.

(2) The Statues of the private university other than the first Statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Statutes made under sub-section (2) shall be sent to the Regulatory Commission and the Regulatory Commission may, if it considers necessary, give suggestions for modifications in it within two months from the date of receipt of the Statutes;

(4) The Governing Body shall consider the modifications suggested by the Regulatory Commission and return the Statutes to the Regulatory Commission with its comments on the suggestions.

(5) The Regulatory Commission shall consider the suggestions made by the Governing Body and the Statutes, as finally approved by the Regulatory Commission, shall be published by the State Government in the gazette and on such publication the Statute shall come into force.

28. (1) Subject to the provisions of this Act or the Rules or Statutes made there under, the first Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely :- **The First Ordinances.**

(a) admission of students to the private university and their enrolment mentioning clearly special consideration for the students of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, handicapped and girls categories;

(b) details of courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the private university;

(c) award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be adopted relating to the granting and obtaining of the same;

(d) conditions for award of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) examination fees to be charged for the various courses for degrees and diplomas of the university;

(g) conditions of residence of the students of the university;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic environment of the private university;

(j) manner of co-operation and collaboration with other universities and institutions of higher education;

(k) all other matters which, by this Act or Statutes made thereunder, are required to be provided by the Ordinances.

(2) The First Ordinances of the private university shall be made by the Vice-Chancellor which shall be submitted to the Regulatory Commission for approval.

(3) The Regulatory Commission shall consider the First Ordinances submitted by the Vice-chancellor under sub-section (2) within two months from the date of its receipt and shall either approve it or give suggestions for modifications.

(4) The Vice-chancellor shall give his comments on the suggestions made by the Regulatory Commission and shall return the first Ordinance to the Commission and on receipt of the same, the Commission shall either approve the comments of the Vice-chancellor or disapprove the same and on the basis of the final decision, the Ordinance as approved by the Regulatory Commission shall be notified by the State Government in the gazette and on such publication, the Ordinance shall come into force.

The Subsequent Ordinances.

29. (1) All Ordinance other than the First Ordinances shall be made by the Academic Council with the approval of the Board of Management.

(2) The State Government after approval of the Ordinances by the Regulatory Commission, shall publish all Ordinances made under sub-section (1) in the gazette and on such publication, the Ordinance shall come into force.

Vacancies not to invalidate the proceedings of any Authority or Body of the University.

30. No act or proceeding of any authority or body of the private university shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

Filling up of emergent vacancies.

31. Vacancies arising in the members of authorities or bodies of the private university due to death, resignation or removal of a member or due to change of capacity in which he was appointed or nominated, shall be filled up as early as possible by the person or the body who had appointed or nominated such a member.

Provided that the person appointed or nominated as a member of an authority or body of the private university on an emergent vacancy, shall remain member of such authority or body for only the remaining period of the member in whose place he is appointed or nominated.

32. The authorities or officers of the private university may constitute such committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees. The constitution of such committees and their duties shall be such as may be prescribed by the Statutes. **Committee.**

33. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, or resolution of any authority or Committee of the private university or other documents in possession of the private university or any entry in any register duly maintained by the private university, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence. **Mode of proof of University Record.**

34. (1) The Authorities of the private university constituted by or under this Act may make regulations subject to the provisions of this Act, the statutes and the ordinances of the private university. **Regulations.**

(2) The Board of Management may modify or annul any regulations made under this section by any authority.

35. All Statute, Ordinance or Regulation shall come into force after its publication in the official gazette. **Enforcement of Statute, Ordinance and Regulation.**

CHAPTER - IV : REGULATION OF PRIVATE UNIVERSITY

36. (1) A Regulatory Commission shall be established by the state government for the purpose of providing a regulatory mechanism at the state level, and for working as an interface between the State Government and the Central Regulatory Bodies for the purpose of ensuring appropriate standard of teaching, examinations, research, extension programmes, protection of interest of the students and ensuring reasonable service conditions of the employees, while the university has full freedom to function. **Regulatory Commission.**

(2) The Regulatory Commission shall function under the general control of the Visitor.

(3) The Regulatory Commission shall consist of :

(a) a Chairman, two full-time Members, out of which one Member shall be "Member-Academic" and another Member as "Member-Administration" and not exceeding two part-time members to be appointed by the Visitor.

(b) a full time or part time Secretary.

(4) The Chairman shall be appointed by the Visitor from a panel recommended by the State Government consisting of eminent educationists who have a through knowledge of the working of the institutions of higher education.

(5) The members shall be appointed by the Visitor from a panel recommended by the State Government consisting of persons of repute in the field of education, finance, law, administration / management etc.

(6) The Chairman and the members shall not be connected in any way with any of the private universities established under this Act.

(7) Terms and conditions of services of Chairman and the members, mode of authentication of orders and decisions of the Regulatory Commission and instruments issued by the Commission, procedure for meetings of the Commission, recruitment and service conditions of the staff of the Commission, temporary association of persons with the Commission for particular purposes, funds of the Commission, its budget, annual report, account, audit and such other matter as may be required for proper functioning of the Commission shall be provided in the rules made by the State Government in this regard.

(8) It shall be the general duty of the Regulatory Commission :-

(a) to take all such steps as it considers necessary for determination and maintenance of standards of teaching, examination and research in the private universities;

(b) to ensure that private universities collect only such fees and other charges which cover the cost of education imparted by them and also give a reasonable surplus to enable them to maintain assets and carry out further expansion.

(c) to ensure that the teachers of the university have at least the minimum educational qualifications prescribed by the U.G.C. or other regulatory bodies

(d) to ensure that the staff of the private university is appointed in conformity with the Statutes, Ordinance, and norms /guidelines prescribed by UGC and other concerned Statutory Bodies.

(e) to ensure that students enrolled in the private university are not exploited and no un-ethical means are adopted to collect undue excessive fee from them;

(f) to take action pertaining to, and pursuant upon, liquidation of a private university by the state, including arrangement for completion of courses, conduct of examinations, award of degrees etc. , by assigning the job to some other state university in such a manner that the interest of the students are not adversely affected. Expenditure made for these arrangements for the students along with the process of liquidation of the private university shall be made good from the money deposited in the Endowment Fund and / or General Fund;

(g) to regulate in consultation with the concerned private university, the study centres established at different places in the state.

(9) The State Government may issue directions on matters of policy to the Regulatory Commission

Annual Report. 37. (1) The annual report of the private university shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the private university towards the fulfillment of its objects and shall be approved by the Governing Body and a copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Visitor, and the Regulatory Commission.

Annual Accounts Audit. 38. (1) The annual accounts including balance sheet of the private university shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once every year by the auditors appointed by the private university for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be

submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report along with the observations, if any, of the Governing Body shall be submitted to the Visitor and the Regulatory Commission.

(4) The Regulatory Commission shall examine the annual report and accounts and audit report. The direction of the Regulatory Commission on the subject arising out of the annual report and accounts and audit report of the private university shall be binding on the private university.

39. (1) The UGC may cause periodic inspection of the private university or any of its centres. For this purpose, the UGC may call for all relevant information from the concerned private university, as provided in the UGC (Returns of Information by Universities) Rule, 1979 as amended from time to time. **Periodic Inspection.**

(2) After inspection and assessment of a private university providing first degree and / or post-graduate degree / diploma courses, the UGC may indicate to the university any deficiency and non-conformity with the relevant UGC Regulations and give it reasonable opportunity to rectify the same. If the Commission is satisfied that the private university has, even after getting an opportunity to do so, failed to comply with the provisions of any of the Regulations, the Commission may pass an order prohibiting the private university from offering any course for the award of the first degree and / or the post-graduate degree / diploma, as the case may be, till the deficiency is rectified.

(3) The UGC may take necessary action against a private university awarding a first degree and / or a post-graduate degree / diploma, which are not specified by the UGC, and inform the public in general through a public notification. A private university continuing such programme(s) and awarding unspecified degree(s) shall be liable for penalty under Section 24 of the UGC Act.

CHAPTER - V : WINDING OF PRIVATE UNIVERSITY

40. (1) If the Sponsoring Body proposes to dissolve itself or wants to discontinue the function of the private university established under the Act, it shall inform the Regulatory Commission of its plan by which it shall ensure completion of courses and conduct of examinations, and it shall announce the prospective date from which it shall not admit any new students. **Management of University on dissolution of Sponsoring Body.**

(2) The Regulatory Commission on receipt of such information shall have the right to issue such directions to the Sponsoring Body for the fulfillment of its obligations under sub-section (1) as it may deem necessary. If the Sponsoring body contravenes the provisions of sub-section (1), the Endowment Fund shall be forfeited by Regulatory Commission and the Commission shall make arrangements for completion of courses, conduct of examinations, award of degrees etc., of students of the university either by undertaking the job itself or by assigning the job to some other university in such manner that the interest of the students are not affected adversely in any manner.

Expenditure made for these arrangements for the students shall be made good from the money deposited in the endowment fund and / or General Fund of the university.

Special Powers of the State Government in certain circumstances.

41. (1) On report of Regulatory Commission or otherwise if it appears to the State Government that any of the directions issued by it to the private university under this Act has been violated or a situation of financial mismanagement and maladministration has arisen in the private university, it shall issue notice requiring the private university to show cause within forty five days as to :-

(a) Why an order of its liquidation should not be made;

(b) Why the board of management should not be suspended and an administrator be appointed under sub-section (7).

(2) If the State Government considers it necessary to suspend the Board of Management for the proper investigation, it shall, by notification published in the Gazette, order suspension of the Board Management and shall make such arrangement in consultation with the sponsoring body for the administration of the business of the private university till the completion of investigation as it may consider necessary.

(3) If the State Government, on receipt of reply of private university in respect of notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima-facie case of financial mismanagement, maladministration or violation of any of the provisions of this Act or directions issued thereunder it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(4) The State Government shall, for the purposes of any enquiry under sub-section (3), appoint an officer or authority to enquire into any of the allegations and to make report thereon.

(5) The enquiring authority appointed under sub-section (4) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 40 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office;

(d) any other matter which may be prescribed.

(6) Every enquiring authority enquiring under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of Section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

(7) If the State Government on receipt of the enquiry report is satisfied that owing to financial mismanagement and maladministration a situation has arisen where by the financial stability or administration of the private university has become insecure, it shall, by notification in the official Gazette, order liquidation of the private university or may cause the functioning of the private university to continue by appointing an Act who shall have the powers vested in the Governing Body.

Provided that, no order of liquidation shall take effect unless the entry relating to such private university shall be deleted from the schedule appended to the Act.

(8) While issuing notification in respect of liquidation under sub-section (7), the State Government, shall, till the end of its current course, make

arrangement for the administration of business of the private university.

(9) The State Government during the period of management of private university under sub-section (8) shall use the funds available with the private university and the surplus, if any, shall be forfeited for itself.

(10) All the expenses incurred in the process of enquiry and till the completion of admission of the students, shall be met from the endowment fund or general fund of the university.

CHAPTER - VI : MISCELLANEOUS

42. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act. **Power to make Rules.**

(2) Without prejudice to the geneiality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the manner of making proposal to establish a private university and the fees payable under sub-section (1) of Section 4.

(b) other particulars to be contained in the Project Report; under sub-section (2) of Section 4.

(c) the mode of establishment of endowment fund, in the manner of its investment, the payment of income from it to the sponsoring body, its forfeiture and mode of its return to the sponsoring body under Section 11(3).

(d) mode of collection of fee from the private university and depositing amount so collected in the Consolidated Fund under proviso to Section 12(e).

(e) other matters to be provided for in the Statutes under sub-section (1) of Section 26.

(f) mode of authentication of orders and decisions of the Regulatory Commission and the instruments issued by the Commission, terms and conditions of services of Chairman and the members, procedure for meetings of the Commission, provision of staff to the Commission and their service conditions, temporary association of persons with the Commission, its budget, annual report, accounts and audit and such other matters as may be required for proper functioning of the Regulatory Commission under sub-section (9) of Section 30;

(g) other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All rules for which provision in made in this Act, shall be Act in the state legislative Assembly.

43. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as it may be deemed necessary or expedient for removing the difficulty. **Power to remove difficulties.**

44. The Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) and orders, rules, resolutions, if any, in force immediately before the commencement of this Act, are hereby repealed and rescinded, as the case may be. **Repeal and Savings.**

Provided that all orders made or actions taken under the Act so repealed, except under Sections 5 and 6, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of this Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित –2005.